

थाना भमोरा जिला बरेली

थाना भमोरा एवं ANTF यूनिट बरेली द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों को 3.5 किलो ग्राम अवैध अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 35 लाख रुपये) सहित किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचय:-

दिनांक 31.12.2025 को ANTF यूनिट बरेली एवं थाना भमोरा पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से क्रमशः 2 किलो व 1 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई जिसके संबंध में थाना भमोरा पर **मु030सं0 616/25 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही:-

दिनांक 31.12.2025 को 30नि0 विकास यादव तैनाती ANTF यूनिट बरेली तथा थाना भमोरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम मकरंदपुर हनुमान मंदिर चौराहे पर चम्पतपुर जाने वाली सड़क से अभियुक्त 1.फैसल खान उर्फ अर्शी पुत्र लाल मोहम्मद नि0 मो0 नजदीक बड़ा दरवाजा नई सराय थाना कोतवाली जिला बदायूँ 2.आलिम पुत्र नदीम नि0 मो0 नई सराय थाना सिविल लाईस जिला बदायूँ को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से क्रमशः 2 किलो व 1 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम, तीन मोबाइल व 3650 रुपये नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर थाना भमोरा पर **मु030सं0 616/25 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1.फैसल खान उर्फ अर्शी पुत्र लाल मोहम्मद नि0 मो0 नजदीक बड़ा दरवाजा नई सराय थाना कोतवाली जिला बदायूँ
- 2.आलिम पुत्र नदीम नि0 मो0 नई सराय थाना सिविल लाईस जिला बदायूँ उम्र 23 वर्ष

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु030सं0 616/25 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट थाना भमोरा जिला बरली

आपराधिक इतिहास फैसल:-

1. मु030सं0 616/25 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट थाना भमोरा जिला बरली
2. मु030सं0 243/25 धारा 115(2)/324(4)/333/351(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली बदायूँ

बरामदगी का विवरण:-

1. कुल 3.5 किलो ग्राम अवैध अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 35 लाख रुपये)
2. कुल 3650 रुपये नगद
3. तीन मोबाइल फोन

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरण:-

अभियुक्त फैसल ने बताया कि साहब मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं कबाड़े की दुकान चलाता हूँ। हम दोनों ने यह अफीम अपनी कबाड़े की दुकान पर ही ज्ञान नाम के व्यक्ति से डेढ़ लाख रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी थी, जिसे हम पंजाब की पार्टी को बेचने के लिये आये थे। **अभियुक्त आलिम** ने बताया कि साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने भी फैसल की कबाड़े की दुकान से ही ज्ञान नाम के व्यक्ति से यह अफीम खरीदी थी, जिसे हम पंजाब की पार्टी को बेचने के लिये आये थे।

पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष सनी चौधरी थाना भमोरा जनपद बरेली
2. 30नि0 विकास यादव तैनाती ANTF यूनिट बरेली मय टीम
3. 30नि0 श्री हीरेन्द्र सिंह थाना भमोरा जनपद बरेली
4. कां0 मुस्तफा थाना भमोरा जनपद बरेली